

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122020-223512 CG-DL-W-05122020-223512 साप्तााहक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020 (अग्रहायण 14, 1942)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5-DECEMBER 11, 2020 (AGRAHAYANA 14, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी को गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2020

सं. ए-12/11/1/भ.वि.-न.सि./2017-चि.-VI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (XXi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग संवर्गों/पदों), भर्ती विनियमों, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदों से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (पूर्व में क्रमश: स्टाफ नर्स तथा नर्सिंग सिस्टर) तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता ह्य नामत :—

.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता-नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को होना चाहिए:--

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

1-359 GI/2020-(H)

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता :---

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता ह्य तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

- निर्रहता— ऐसा कोई व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया ह⊔या विवाह करने का करार किया ह⊔ जिसका विवाहिती जीवित हµ अथवा
 - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह⊔अथवा विवाह करने का करार किया ह⊔

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय हा।और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छ़ट दे सकते हैं।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन ह्य तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व समिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित हा

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मप्ट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद ह□ अथवा ग∎ चयन	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु- सीमा
				पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्सिंग अधिकारी	2959*(2019) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मप्ट्रिक्स में लेवल-7 (44,900- 1,42,400 रुपये)	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के

अन्सूची

		ਹਤੀ ਜਿਪ	र पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) पणी : आयु-सीमा निर्धारण की र्गायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग
सीधी भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शक्तिक अर्हताएं पदोव्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	द्वार परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	ा यथा विज्ञापित होगी। भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोल्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	व वा लागू हागा (8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता :	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
 (क) (1)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग; तथा (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत 			टिप्पणी: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में
अथवा			नियमित आधार पर सदृश पद धारित।
अथवा (ख) (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा; (II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ (पंजीकृत नर्स या पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा (III) उपर्युक्त (ख) (1) में उल्लिखित शक्तिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूलतम एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह ह्य तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलता योग्य ह्य टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की राय हा कि आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवत: उपलब्ध नहीं ह्य इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी मामले लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलता योग्य हा			धारित। (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शक्तिक अर्हता तथा अनुभव हो। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी)।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद ह⊔तो उसकी संरचना क्या	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती
अामेलन द्वारा भर्ती के मामले में		करते समय संघ लोक सेवा
वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा		आयोग से परामर्श किया
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना		जाना हा
हा		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	स मूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के	संघ लोक सेवा आयोग से
	विचारार्थ) का गठन :—	परामर्श आवश्यक हा
	(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	—अध्यक्ष	
	(2) निदेशक या संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय,	
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	—सदस्य	
	(3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्थापना-1),	
	मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	—सदस्य	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ अधिकारी	नर्सिंग	1272*(2020) *कार्यभार के आधार पर	समूह 'ख', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मप्रिक्स में लेवल-8 (47,600-1,	चयन	लागू नहीं
भिन्नता के अध्यधीन			51,100 रुपये)			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वाराः	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति	प्रत्येक अवसर
नर्सिंग अधिकारी से पदोल्नति के लिए वेतन मट्रिक्स के लेवल-7 में	समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का	पर संघ लोक
(44,900-1,42,400) में दो वर्ष की नियमित सेवा।	गठन :	सेवा आयोग से
टिप्पणी 1 : वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक	परामर्श
ने पद के कर्तव्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य	सेवा आयोग	आवश्यक हा
बीमा निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत	—अध्यक्ष	
किसी संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति	(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी	
दो वर्ष के भीतर होनी नियत हा उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट	राज्य बीमा निगम	
प्राप्त होगी।	—सदस्य	
टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर	(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं	
चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा ह्य वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति	प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा	
पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक	निगम	
या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम	—सदस्य	
न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने		
कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा		

भाग III—खण्ड 4]

_

अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित):	
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त अथवा	
सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी जो:	
(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो;	
अथवा	
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मट्रिक्स के लेवल-7(44,900-1,42,400)	
के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तत्संबंधी ग्रेड में दो	
वर्ष की सेवा; तथा	
(ख) निम्नलिखित शक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त:	
अनिवार्य अर्हता :	
(क)(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में	
बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में	
नियमित पाठ्यक्रम; अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.	
नर्सिंग; तथा	
(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़ (पंजीकृत नर्स या	
पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा	
(III) उपर्युक्त (क)(I) में उल्लिखित शक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात	
पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव	
अथवा	
(ख)(I) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफ़री में	
डिप्लोमा;	
(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़(पंजीकृत नर्स या	
पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा	
(III)उपर्युक्त (ख)(I) में उल्लिखित शक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात	
पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव.	
टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति	
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,	
प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पणी 4 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा	
विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में	
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति	
(अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष	
से अधिक नहीं होनी होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक नर्सिंग अधीक्षक	279*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन	समूह 'क', अलिपिकवर्गीय,	वेतन मप्ट्रिक्स में लेवल-10 (56,100-1, 77,500 रुपये)	चयन	लागू नहीं

323

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
(11)		
पदोल्लति द्वाराः	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति	प्रत्येक अवसर
वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी से पदोव्नति के लिए वेतन मट्रिक्स के लेवल-8 में	समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) — ——	पर संघ लोक
(47,600-1, 51,100) में दो वर्ष की नियमित सेवा।	का गठन :	सेवा आयोग से
टिप्पणी 1 : सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक	परामर्श अपनश्यक जा
ने पद के कर्तट्यों तथा कौशल विकास, आदि के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा	सेवा आयोग	आवश्यक हा
निगम के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी	—अध्यक्ष	
संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो। जिन व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति दो वर्ष	(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी	
के भीतर होनी नियत हा उन्हें ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट प्राप्त	राज्य बीमा निगम	
होगी।	—सदस्य	
टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर	(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं	
चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा हा वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति	प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा	
पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक	निगम	
या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न	—सदस्य	
हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण	
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)	
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित):	का गठन :-	
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त अथवा	(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी	
सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या विश्वविद्यालय या	राज्य बीमा निगम	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी जो :	—अध्यक्ष	
(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो ;	(2) निदेशक या संयुक्त निदेशक	
अथवा	(चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय,	
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मट्रिक्स के लेवल-8 (47,600-1,51,100)	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
अथवा लेवल-9(53,100-1,67,800)के पद पर नियमित आधार पर निय्ति के	—सदस्य	
पश्चात तत्संबंधी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा; तथा	(3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या	
(ख) निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त हो :	उप निदेशक (स्थापना-1),	
अनिवार्य अर्हता :	मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा	
(क)(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में	निगम	
बी.एस.सी.(ऑनर्स); अथवा	—सदस्य	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग में		
नियमित पाठ्यक्रम; अथवा		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.		
नर्सिंग; तथा		
(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़ (पंजीकृत नर्स या		
पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा		
(III) उपर्युक्त (क)(I) में उल्लिखित शक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात		
पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।		

	 [
अथवा	
(ख)(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में	
डिप्लोमा; तथा	
(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़(पंजीकृत नर्स या	
पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा	
(III) उपर्युक्त (ख)(I) में उल्लिखित शक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात	
पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।	
टिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति	
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पणी 4 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा	
विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में	
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति	
(अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	
आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक	
नहीं होनी होगी।	

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेत् निम्नलिखित विनियम बनाता ह्य नामत:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ तकनीकी स्रह्रायक (ई.सी.जी.), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथ्भविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथायिनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. निरईता— ऐसा कोई व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हा। या विक्राह करने का करार किया हा। जिसका विवाहिती जीवित हा। अथवा
 - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रद्गते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह⊔अथवा विवाह करने का करार किया हµ

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निर्णम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय हा और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे संकेंगे।

5. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हा तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिजता दे सकते हैं।

New Delhi, the 19th October 2020

No. A-12/11/1/RR-N.S./2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause(xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation, (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Staff Nurse, Nursing Sister and Assistant Nursing Superintendent, excepts as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer, Senior Nursing Officer (erstwhile Staff Nurse and Nursing Sister respectively) and Assistant Nursing Superintendent in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing Officer, Senior Nursing Officer and Assistant Nursing Superintendent), Recruitment Regulations, 2020.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Nationality. A candidate for appointment must be:
 - (a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

- 3. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness. (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person,

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax. Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDU	LE		
Name of post	Number of posts	Classification.	Level in the Pay matrix	Whether post o selection		Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(:	5)	(6)
Nursing	2959* (2019)	Group 'B',	Level-7 in	Not appli	cable.	Not exceeding thirty years.
Officer	*Subject to variation dependent on workload	Non- Ministerial.	the pay matrix (Rs.44,900- 1,42,400)			(Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation and Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.
Educational and other qualifications required for direct recruits			educational qualificatio prescribed recruits wil	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case ofprobation, if any		of Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
	(7)		(8	(8) (9)		(10)
University or regular cours University or Post Basic University or (II) registered (registered N Midwife) wit (B)(I) Diplot from a recogn (II) registered (registered N Midwife) fro (iii) One year hospital af qualification Note 1: Qualification Note 1: Qualification Note 1: Qualification In case of car Note 2: The is/are relaxal Public Servi recorded in belonging t Scheduled Th Union Publio opinion that these comm	Hons) in Nursin Institute; or e in B.Sc. Nursin B.Sc Nursing Institute; or B.Sc Nursing Institute; and d as a nurse or urse or registered h State Nursing C OR ma in General nised Board or C d as a nurse or urse or registered m State Nursing resperience in m fiter acquiring mention at (B)(I) ualifications are of the Union for reasons to be ndidates otherwiss qualification(s) fit ble at the discr ce Commission writing in the o the Schedul ribes if at any sic c Service Com sufficient numbe nunities posses	Nursing Mid-wifer ouncil; nurse and mid-wi d Nurse & registers Council; and inimum fifty bedde the education above. e relaxable at the Public Service recorded in writin e well qualified. regarding experience to of the Unic for reasons to be case of candidate ed Castes or the tage of selection the umission, is of the r of candidates fro sing the requisi e available to fill to	ed ed fe ed ry fe ed al al al al ce g. ce son be essible inter te	licable	(9)(10)Two yearsBy direct recruitment. Note 1: Vacancies caus the incumbent being aw transfer on deputation o oillness or study leave or other circumstance duration of one year or may be filled on depu basis from officers of C Government; (A)(I) holding analogou on regular basis in the p cadre or department; and (B) possessing the educa qualification prescribed direct recruits under ca (7). Note 2: Period of depu in another ex-cadre pos immediately preceding appointment in the sar some other organisation department of the C Government shall ordinot to exceed three years maximum age-limit appointment by depu shall be not exceeding six years as on the c date of receipt of application	

SCHEDULE

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	mmittee exists what is its Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
(11)	(12)	(13)	
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman; 2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member; 3. Director or Joint Director or Deputy Director (Establishment-1), Headquarters, Employees' State Insurance Corporation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Nursing Officer	, ,	Group 'B', Non –Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
By promotion; Promotion from Nursing Officer with two years of regular service in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Senior Nursing Officer, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation (including short-term contract): Officer of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and administration), Employees' State Insurance Corporation. -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

Essential qualification:	
(A) (I) B.Sc.(Hons) in Nursing from a recognised University or	
Institute; or	
regular course in B.Sc. Nursing from a recognised University or	
Institute; or	
Post Basic B.Sc Nursing from a recognised University or Institute;	
and	
(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or	
Registered Nurse & Registered Midwife) with State Nursing	
Council; and	
(III) one year experience in minimum fifty bedded hospital after	
acquiring the educational qualification mention at (A)(I) above.	
OR	
(B) (I) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised	
Board or Council;	
(II) registered as a nurse or nurse and mid-wife (Registered Nurse or	
Registered Nurse & Registered Midwife) from State Nursing	
Council; and	
(III) two years experience in minimum fifty bedded hospital after	
acquiring the educational qualification mention at (B)(I) above.	
Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in	
the direct line of promotion will not be eligible for consideration for	
appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be	
eligible for consideration for appointment by promotion.	
Note 4: Period of deputation (including short-term contract)	
including the period of deputation (including short-term contract) in	
another <i>ex-cadre</i> posts held immediately preceding this appointment	
in the same or some other organisation or department of the Central	
Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum	
age limit for appointment by deputation (including short-term	
contract) shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date	
of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Nursing Superintendent	279* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group' A' Non- Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56,100- 1,77,500)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

(11)	(12)	(13)
By promotion; Promotion from Senior Nursing Officer with two years of regular service in level-8 (Rs. 47,600-1,51,100) in the pay matrix. Note 1: For promotion to the post of Assistant Nursing Superintendent, the candidate should have completed the training in the field of duties of the post and skill development, etc. through Training Institute of Employees' State Insurance Corporation or at an institute decided by competent authority. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation. -Member; 3. Insurance Commissioner (Personnel and administration), Employees' State Insurance Corporation. -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (ECG), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Assistant (ECG) in Employees' State Insurance Corporation, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Technical Assistant (ECG), Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and the level in the pay matrix-attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.